

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सरकार चमड़े के जूतों तथा चमड़े से बने अन्य सामान के अतिरिक्त साधित तथा तैयार चमड़े का अधिक निर्यात करने की नीति का पालन कर रही है।

(ख) 1965-66, 1966-67 तथा अप्रैल-दिसम्बर 1967 तक चमड़े के जूतों सहित चमड़े के अन्य सामान के निर्यात का मूल्य क्रमशः 3.88 करोड़ रु०, 5.81 करोड़ रु० तथा 4.47 करोड़ रु० था। चमड़े के निर्यात की घटने की अपेक्षा बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि बकरी की कच्ची चमड़ियों के निर्यात पर क्रमिक प्रतिबन्ध लगाने से बकरी की कमाई हुई चमड़ियां निर्यात के लिए अधिक मिलने लगेगी।

(ग) भारत संसार के चमड़ा उत्पादन के 15 प्रतिशत का उत्पादन करता है और अपने उत्पादन के आधे से भी कम का निर्यात करता है।

पश्चिमी रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

6076. श्री रणजीत सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1967 से अब तक पश्चिमी रेलवे पर बिना टिकट अथवा गलत टिकट पर यात्रा करते हुए प्रति मास कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ;

(ख) उनसे जुमाने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० भू० पुनाषा) :

(क) पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट या अनधिकृत टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या इस प्रकार

है—

दिसम्बर 1967	: 1,05,778
जनवरी 1968	: 1,19,112
फरवरी 1968	: 1,09,519
मार्च 1968 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।	

(ख) बिना टिकट जाने जिन यात्रियों पर मुकदमा चलाया गया उनसे जुमाने के रूप में वसूल की गयी रकम इस प्रकार थी:—

दिसम्बर 1967	: 6,828 रु०
जनवरी 1968	: 7,581 रु०
फरवरी 1968	: 8,058 रु०

इन्के अलावा बिना टिकट या अनुचित टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों में अतिरिक्त किराये और अतिरिक्त प्रभार के रूप में निम्नलिखित रकम वसूल की गयी:—

	अतिरिक्त किराया (रुपये)	अतिरिक्त प्रभार (रुपये)	जोड़ (रुपये)
दिसम्बर 1967	2,13,053	88,422	3,01,475
जनवरी 1968	2,11,102	87,060	2,98,162
फरवरी 1968	2,08,904	86,374	2,95,278

मार्च, 1968 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जांच के काम में तेजी लाने और उनकी आवृत्ति बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है जिसमें गुप्त रूपजांच जांच और उड़न-दस्तों तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा अज्ञानकी जांच शामिल है। टिकट जांच सम्बन्धी प्रबन्धों के पर्यवेक्षण का काम तेज कर दिया गया है।

मुरादाबाद में टेलीफोन की तारों की चोरी करने वाले रेल कर्मचारी की गिरफ्तारी

6077. श्री रणजीत सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च,

1968 के पूर्वार्ध में टेलीफोन की तारों की चोरी करने वाले एक रेलवे कर्मचारी को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अपराधी के पास से कितना तार बरामद हुआ था; और

(ग) गिरफ्तार किये गये उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :

(क) जो हां, लेकिन वह 25-3-68 को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) 10 किलोग्राम।

(ग) मुरादाबाद की सरकारों रेलवे पुलिस ने तार अधिनियम की धारा 5/7 के अन्तर्गत अपराध सं० 93 के रूप में एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच हो रही है। अपराधी को जेल भेज दिया गया है।

पश्चिमी रेलवे के इंजीनियरी विभाग में वाई कीपरों के पद

6078. श्री श्रीचन्व गोयल :
श्री रणजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के इंजीनियरी विभाग में वाई कीपरों के कितने पद अभी रिक्त हैं ;

(ख) उस विभाग में वाई कीपरों के कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर नियुक्ति करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :
(क) कोई नहीं।

(ख) 12।

(ग) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली-रिवाड़ी सेक्शन पर रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीरें

6079. श्री हुकम चन्द कछवाय :
क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के दिल्ली-रिवाड़ी सेक्शन पर कुछ रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीरें हटा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस सेक्शन पर जिन रेल गाड़ियों से खतरे की जंजीरें हटा दी गई हैं उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :
(क) जो हां।

(ख) छः गाड़ियां।

(ग) हम खण्ड पर इन गाड़ियों में खतरे की जंजीरें खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती थीं और इससे गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था।

निजी कम्पनियों की रेलवे लाइन

6080. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक